

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2014

फा.सं. पी. 15025/265/2013-पीए/एफएसएसएआई.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजा जा सकेगा ।

आक्षेप और सुझाव, जो उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में इस प्रकार उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ;

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2014 है ।
 - (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में,—

(क) विनियम 3.1.3, 'कृत्रिम मधुकारक' से संबंधित खंड (1) में 'कृत्रिम मधुकारक का प्रयोग और विक्रय' से संबंधित नीचे दी गई सारणी में, —

(क) मद सं. 6 के पश्चात् निम्नलिखित मद सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"VII	एसपरटेम और ऐसीसल्फेम लवण (आईएनएस 962)	सुवासित और/या किवणित दुग्ध आधारित पेय (अर्थात् चाकलेट दुग्ध, कोका, एग्नोग, योगाहर्ट पेय और दही का पानी आधारित पेय	350
		डिजस्ट आधारित दुग्ध अर्थात् पुडिंग, फल या सुवासित योगाहर्ट	350
		जैम, जैली, मारमलेड	1000
		चाकलेट और चाकलेट उत्पाद	500
		चीनी रहित कन्फेन्सरी	2000
		चीनी रहित च्युइंगम	500
		कार्बनिकृत जल	350"

(ख) सहयोज्य के मानक से संबंधित विनियम 3.2 के उप विनियम 3.2.1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3.2.2 मधुकारक : लक्षणों सहित विभिन्न मधुकारकों के लिए मानक नीचे विनिर्दिष्ट हैं :—

1 एसपरटेम-ऐसीसल्फेम लवण :

समानार्थक

एसपरटेम और ऐसीसल्फेम (आईएनएस सं. 962)

परिभाषाएं

लवण अम्लीय पीएच के विलयन में एसपरटेम और ऐसीसल्फेम लवण के लगभग 2 : 1 के अनुपात (डब्ल्यू : डब्ल्यू) को उष्णीत करके तैयार किया जाता है और क्रिस्टलीकरण होने को अनुज्ञात किया जाता है। पोटेशियम और नमी को निष्कासित किया जाता है। उत्पाद अकेले एसपरटेम से अधिक स्थायी है।

रासायनिक नाम

6-मिथाइल-1,2,3-ऑक्साथियाजीन-4(3H)-वन-एल-फिनेललेनयल-2-मिथेल-L- α -एसपरटिक अम्ल का 2,2-डॉइक्साइड लवण।

[2-कारबॉक्सी- β -(एन-(बी-मिथाक्सीकारबोनिल-2-फिनेल) इथाइलकाबोमोयल)] इथेनामिनियम-6-मिथेल-4-ऑक्सो-1,2,3-ऑक्साथियाजीन-3-इदी-2,2-डॉक्साइड।

सी.ए.एस. संख्या

106372-55-8

रासायनिक सूत्र

सी₁₈एच₂₃ओ₉एन₃एस

सूत्र भार

457.46

3352 GI/14-2

कसौटी	एसपरटेम (शुष्क आधार पर) 63.0% से 66.0% और ऐसीसल्फेम (शुष्क आधार पर अम्लीय रूप में) 34.0% से 37.0%
वर्णन	एक सफेद, गंध रहित, क्रिस्टेलाइन पाउडर
कार्यात्मक उपयोग	मधुकारक अभिकर्मक
लाक्षणिक पहचान घुलनशीलता	जल में अपर्याप्त रूप से घुलनशील और इथेनाल में कुछ घुलनशील
सुखने पर शुद्धता क्षति	0.5% (105°, 4H के अधिक नहीं)
पारगम्यता	जल में 1% विलय की पारगम्यता किसी संदर्भ के रूप में जल के लिए उपयुक्त स्पेक्टोफोटोमीटर के साथ 430 एनएम पर 1 सेटीमीटर सेल में अवधारित होगी, जो 0.95 से अनधिक नहीं है, के समतुल्य जिसका अवशोषण लगभग 0.5022 से अधिक नहीं होगा।
विशिष्ट घूर्णन	(α) डी ²⁰ + 14.5 से + 16.5 100 मिली (15 एन) में नमूना का 6.2 ग्राम के विलयन में तैयार करने के पश्चात् विलयन की तैयारी के 30 मिनट के भीतर मापन करेगा। एसपरटेम-ऐसीसल्फेम लवण के एसपरटेम घटक के लिए शुद्ध को 0.646 द्वारा संगणित विशिष्ट घूर्णन से विभाजित होगा।
5-बेन्जाइल-3,6-डॉइआक्सो-2-पिपराजाइनऐसिटिक अम्ल :	0.5% से अनधिक।
सीसा	1 एमजी मि.ग्रा./कि.ग्रा. से अनधिक।

डी. के. सामंतराय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञा.-III/4/असा./191 एफ/14]

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक एफ 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा किए गए :

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011 तारीख 7 जून, 2013।
- (ii) फा. सं. पी. 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013।
- (iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013।